रूप-पत्र 37

(उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियम, 1948 के नियम 85 का उपनियम (16) देखिये)

घोषणा-पत्रों के प्राप्त करने तथा जारी करने का रजिस्टर जो व्यापार कर अधिकारी द्वारा रखा जायेगा

रूप-पत्रों की प्राप्ति

दिनांक	जिस पत्र द्वारा प्राप्त हुआं उसकी संख्या तथा दिनांक और प्राधिकारी का नाम जिसे प्राप्त हुआ	कुल माल	क्रमसंख्या	से	तक दिनांक	व्यापारी का नाम और पता जिसे जारी किया गया
1	2	3¯	4	5	6	7

रूप-पत्रों का जारी किया जाना

उत्तर प्रदेश रजिस्ट्री प्रमाण-पत्र संख्या तथा प्रभावी होनो का दिनांक	जारी किये गये रूप-पत्रों की संख्या	क्रम संख्या .... से	तक	प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर	साक्षी के हस्ताक्षर जो स्तम्भ 12 में प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर को सत्यापित करे	व्यापार कर अधिकारी/ व्यापार कर अधिकारी श्रेणी-2 के हस्ताक्षर	अभियुक्ति
8	9	10	11	12	13	14	15

टिप्पणी- स्तम्भ 13 के प्रयोजन के निमित हस्ताक्षरों के सत्यापन का वही अर्थ होगा जैसा सम्पति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 3 में है।